न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

अपील संख्याः 117 / 2024 GCMS No.—2024/48

पांची देवी पुत्री बलभा, जाति बैरवा, ग्राम जयसिंहपुरा उर्फ रूपवास, पटवार हल्का पंवालिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र कानाराम
2. प्रकाश पुत्र जगदीश
3. रामनिवास पुत्र सुरजाराम
4. प्रहलाद बैरवा पुत्र भंवरलाल
5. फूला देवी पुत्री भंवरलाल
6. कमलेश कुमार बैरवा पुत्र शंकरलाल
7. गुलाब देवी पत्नि शंकरलाल
8. मंगलराम पुत्र शंकरलाल
9. ममता देवी पुत्री शंकरलाल
10. रामफूल बैरवा पुत्र शंकरलाल
    समस्त जाति बैरवा ग्राम जयसिंहपुरा उर्फ रूपवास, पटवार हल्का पंवालिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
11. खेमचन्द बैरवा पुत्र जगन्नाथ हिस्सा पूर्ण जाति बैरवा निवासी 208 बैरवा मोहल्ला, गोदाम के पास, सिंगवाडा, मलारना, दौसा, राजस्थान।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 24.10.1985 जो श्रीमान ए.एस.ओ. साहब, तसहील सांगानेर जिला जयपुर ने भू प्रबंध विभाग की पर्चा खतौनी की पुस्त पर यह पुष्टि कर राजस्व ग्राम जयसिंहपुरा उर्फ रूपवास, पटवार हल्का पंवालिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नंबर 38, 81, 88 लगायत 95 कुल किता 10 कुल रकबा 2.98 हैक्टेयर की खातेदारी सम्पूर्ण जो वलभा पुत्र गंगाराम के नाम दर्ज था, अपीलार्थीया जो वलभा की पुत्री है, को छोडकर शेष सभी वारिसान के हक में दर्ज किये जाने का आदेश पारित कर बिना नामान्तकरण के ही तकमील पर्चा खतौनी में दर्ज कर दिया।

(प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति धारा 151 सीपीसी)

उपस्थितः–

1. श्री सुमेर सैनी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री नरेश जैन, वीरेन्द्र सिंह शेखावत अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 11 ओर से।

निर्णय दिनांकः 25.03.2025

अपीलांट ने यह अपील सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी सांगानेर के निर्णय 24.10.1985 जिससे वाके ग्राम पवांलिया तहसील सांगाानेर स्थित खातेदार बलभा से पुत्र गंगा की खातेदारी कृषि भूमि कुल किता 10 कुल रकबा 2.98 है0 का पर्चा खतौनी रेस्पाडेन्ट्स के पिता भंवरलाल, शंकरलाल, कानाराम, सुरजाराम, जगदीश पुत्र बलभा के नाम स्वीकार किया गया जिससे असंतुष्ट होकर अपील दिनांक 04.09.2024 को न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी किये गये। रेस्पाडेन्ट संख्या 11 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश जैन, वीरेन्द्र सिंह शेखावत

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

उपस्थित आये। रेस्पा0 संख्या 12 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। शेष रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 10 के नोटिस समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में प्रकाशित कराये गये। रेस्पा0 संख्या 1 लगायत 10 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध है। अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंवालिया तहसील सांगानेर में स्थित भूमि खसरा नंबर 38, 81, 88 लगायत 95 कुल किता 10 कुल रकबा 2.98 हैक्टैयर की खातेदारी अपीलांट के पिता बलभा पुत्र गंगा के नाम से दर्ज थी। रेस्पा0 संख्या 6 लगायत 10 के पिता शंकरलाल के मौखिक कथन के आधार पर ए.एस.ओ. महोदय तहसील सांगानेर के नोट दिनांक 24.10.1985 के आधार पर नामान्तकरण पर्चा पुस्त पर स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख में अपीलाधीन भूमि की खातेदारी कानाराम, जगदीश, सुरजाराम, भंवरलाल, शंकरलाल, पत्नी धन्नी देवी के हक में अमल दरामद कर दिया गया था। अपीलांट के पिता बलभा के पांच पुत्र व पत्नी होने के साथ–साथ एक पुत्री अपीलांट भी है। बलभा की मृत्यु होने के पश्चात स्वीकृत किये गये फौती नामान्तकरण में इनकी पुत्री पांची देवी अपीलांट को शामिल नहीं किया गया। अपीलांट की माता व बलभा की पत्नी धन्नी का देहावसान होने पश्चात फौती नामान्तकरण खोले जाने पर अपीलांट के हिस्से में उसका हिस्सा 1/36 दर्ज किया गया है। इसलिए आक्षेपित नामान्तकरण से पीडित होकर अपीलांट ने माननीय न्यायालय में अपील पेश की है। रेस्पा0 संख्या द्वारा खसरा नंबर 38, 95 कुल रकबा 0.82 हैक्टेयर का बेचान रेस्पा0 संख्या 11 को जरिये रजि0 विक्रय पत्र से कर दिया जो हाल जमाबंदी में दर्ज है। बलभा पुत्र गंगा का देहावसान निर्वसीयती अवस्था में हुआ था, जिसके वारिसान में अपीलांट भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिसान है। इस प्रकार अपीलांट का विवादित भूमि में 1/7 हिस्सा निहित हो गया था इसलिए अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट की माता धन्नी का फौती नामान्तकरण संख्या 397 दिनांक 20.09.2021 को तस्दीक किया गया है जिसमें अपीलांट को हिस्सेदार मानकर नामान्तकरण तस्दीक किया गया। अपीलांट का बलभ की खातेदारी भूमि में 1/7 हिस्सा है। ए.एस.ओ. सांगानेर द्वारा अपीलांट को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार से सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। आक्षेपित आदेश प्रारम्भ से ही विधिविरूद्ध है जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील में मियाद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है अपीलांट को अपीलाधीन नामान्तकरण की सत्यप्रति प्राप्त कर अवलिम्ब माननीय न्यायालय में अपील पेश है। अपीलाधीन नामान्तकरण से अपीलांट के हित प्रभावित होते है इसलिए न्यायहित में अपीलांट को अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलम्ब को माफ किया जावें। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ए.एस.ओ. सांगानेर का आदेश बाबत 24.10.1985 वाके ग्राम पवांलिया, तहसील सांगानेर निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलांट के पिता बलभा के फौती

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

नामान्तकरण में अपीलांट को भी सम्मिलित कर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश फरमावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पा0 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट ने गलत तथ्यों के आधार पर अपील पेश की है। अपीलांट द्वारा मियाद के बिन्दु पर गलत तथ्य अपील में पेश किये गये है। अपीलांट की माता का फौती नामान्तकरण भी दिनांक 20.09.2021 को तस्दीक किया जा चुका था इसके बावजूद 3 वर्ष बाद अपील अपीलांट पेश की गयी है जो प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट द्वारा ए.एस.ओ. के आदेश को माननीय न्यायालय में चुनौती दी गयी जिसके संबंध में माननीय न्यायालय को सुनवाई का अधिकार नहीं है। रेस्पा0 संख्या 11 द्वारा जरिये रजि0 विक्रय पत्र भूमि को क्रय किया है एवं रजि0 विक्रय पत्र के आधार पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा नामान्तकरण संख्या 409 दिनांक 05.04.2022 को तस्दीक किया जा चुका है। रेस्पा0 संख्या 11 वर्तमान में खसरा नंबर 38, 95 कुल रकबा 0.82 हैक्टेयर का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। अपीलांट द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर अपील पेश की गयी है। अतः अपील अपीलांट्स खारिज की जावे। अधिवक्ता रेस्पा0 द्वारा अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **DNJ 2012(1) Raj. 264 Raj. High court, RRT 2016(2) 1110 Board of revenue, RRT 2018 1030 BOR, DNJ 2024 RAJ 174 Raj. High court** पेश किये।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण ए.एस.ओ. सांगानेर आदेश के आधार पर तस्दीक किया गया है जिसमें कोई त्रुटि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गयी है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

विद्वान उपस्थित अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित छायाप्रति के अवलोकन से जाहिर है कि सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी सांगानेर के आदेश दिनांक 24.10.1985 के द्वारा बलभा पुत्र गंगा जाति बैरवा सा0 रामचन्द्रपुरा की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 39, 81,88 लगायत 95 कुल किता 10 कुल रकबा 2.98 हैक्टैयर का उसके वारिसान भंवरलाल, शंकरलाल, कानाराम, सुरजाराम, जगदीश पुत्र बलभा हिस्सा प्रत्येक 5/6, धन्नी बेवा बलभा हिस्सा 1/6 के नाम पर्चा खतौनी भरा जाकर स्वीकार किया गया है। विद्वान अपीलांट का मुख्य कथन है कि अपीलांट स्व0 बलभा की जायन्दा पुत्री है एवं उसके अपने पिता बलभा की खातेदारी भूमि में हक अधिकार निहित है। इस तथ्य पर न्यायालय हाजा का मत है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही फिसकल प्रोसीडिंग्स है जिसमें किसी के हक, हकूक, अधिकार के बिन्दु को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है और न ही इस बावत श्रवण क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्रदत्त है। अपीलांट के अपने पिता की भूमि में किसी प्रकार से हक, अधिकार निहित है तो वे सक्षम स्तर पर घोषणा का वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील हक अधिकार के बिन्दु पर स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होती है।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

विचाराधीन प्रकरण में ए.एस.ओ. सांगानेर के आदेश के आधार पर बलभा के वारिसान के हक में पर्चा खातौनी भरा गया है। **According to Rajsthan Land revenue Act 1956 Sec 75 (f) first appeal shall lie to settlement Commissioner from an original order passed by a settlement officer or by a collector in matters connected with settlement.** राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 24(5) अनुसार भू अभिलेख से संबंधित भू प्रबन्ध अधिकारी के अधीनस्थ सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी है। इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रथम दृष्टया श्रवण क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है।

पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन अराजीयात के खातेदार काश्तकारों द्वारा रेस्पा0 संख्या 11 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खसरा नंबर 38, 95 कुल रकबा 0.82 हैक्टैयर का बेचान भी किया गया है जिसका नामान्तकरण संख्या 409 दिनांक 05.04.2022 को तस्दीक किया जा चुका है। अपीलांट की माता धन्नी के फौत होने पर स्व. धन्नी बेवा बलभा का फौती नामान्तकरण संख्या 397 दिनांक 20.09.2021 को तस्दीक किया गया है एवं उक्त नामान्तकरण संख्या 397 अपीलांट के नाम से भी तस्दीक किया गया है। उक्त नामान्तरणों की कार्यवाही के 3 वर्ष पश्चात अपीलांट द्वारा न्यायालय में अपील पेश की गयी है। अपीलांट द्वारा ए.एस.ओ. सांगाानेर के आदेश दिनांक 24.10. 1985 को न्यायालय हाजा में चुनौती दी गयी है तथा आदेश दिनांक 24.10.1985 को इतने वर्षो बाद चुनौती दिये जाने के संबंध में अपीलांट द्वारा मियाद के बिन्दु पर कोई उचित तथ्य न्यायालय में पेश नहीं किया गया। अतः अपीलांट द्वारा मियाद के बिन्दु पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तथ्य संतोषजनक एवं उचित प्रतीत नहीं होते है।

अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील श्रवण क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर, मियाद के बिन्दु पर तथा हक अधिकार के बिन्दु पर स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनिता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर